

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-27/2025

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-2 के पत्रांक-485 दिनांक 04.04.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सुश्री अनुस्मृति शुक्ला, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना का व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 01.04.2026 से 29.04.2026 तक कुल-29 (उन्तीस) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-2 को उनके पत्रांक-485 दिनांक 04.04.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।


ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना/ सुश्री अनुस्मृति शुक्ला, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 2235 पटना, दिनांक - 28/4/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव (प्रबंधन)।